न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 08/2019 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2019/00031

उनवान

1. भगवानदेई पुत्री बूंदी पत्नि श्री मदन उम्र करीब 60 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरपुर तहसील व जिला धौलपुर राज0 हाल आबाद ग्राम व पोस्ट निवाई कला तहसील भर्तना जिला इटावा उ0प्र0।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र चंदन सिंह जाति लोधा निवासी रहसैना तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
2. विधा देवी पत्नि श्री भगवान सिंह जाति लोधा निवासी 220 केवी जीएस कौलोनी बाडी रोड धौलपुर।
3. मिथलेश कुमारी पुत्री श्री ग्याप्रसाद पत्नि श्री वेदनारायण पाण्डेय जाति ब्राहम्ण निवासी बहादुरपुर तहसील व जिला धौलपुर।
4. अशोक कुमार
5. किशोर कुमार
6. पवन कुमार
7. शैलेन्द्र कुमार

   पुत्रगण स्व श्री कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण बाग भावासहाब का बाडा तहसील व जिला धौलपुर।
8. एबीएजे बैंक शाखा जाटौली तामील जरिये प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 04.02.2019 प्रकरण संख्या 07/18 उनवान भगवानदेई बनाम संतोष कुमार आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री रामअवतार गौड अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री निशान्त भार्गव अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–18.03.2025

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट के पिता बूंदी पुत्र चिरौंजी 1/3 हिस्से के अभिलिखित खातेदार काश्तकार थे। वादी अपीलाण्ट की मृत्यु के पश्चात् मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम बूंदी द्वारा छोडी हुयी आराजी में वादी अपीलाण्ट व उनके भाई लखनलाल पर वहिस्सा बराबर प्रकांत हुयी। इस प्रकार वादी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपीलाण्ट विवादित आराजी में 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। परन्तु वादी अपीलाण्ट के भाई ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर विवादित आराजी का विरासत का दाखिला केवल अपने नाम करा लिया, जो खिलाफ मौका व कानून है। अतः वाद प्रस्तुत कर स्वयं को विवादित आराजी में 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/रैस्पो0 को तलव किया गया। प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये, प्रतिवादीगण रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुये, दावा वादी अपीलाण्ट खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का दावा धारा 7 नियम 11 से बाधित मानते हुये, गलत रूप से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विवाद्यक ही नहीं बनाये हैं ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि दोनों दावो में समान विवाद्यक बिन्दु अंतिक रूप से पूर्व के दावे में तय हो चुके हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने रेसजूडिकेटा के सिद्धान्त के आधार पर दावा खारिज करने में त्रुटि की है। यह है कि पूर्व न्याय का सिद्धान्त एक विधि एवं तथ्यों का मिला हुआ प्रश्न है, जो दोनों पक्षो की प्लीडिंगस एवं साक्ष्य के आधार पर ही तय हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभी जवाब तक प्रतिवादी रैस्पो0 की ओर से पेश नहीं किया गया है। अतः पूर्व न्याय का सिद्धान्त मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। यदि पूर्व में दावा प्रस्तुत हुआ है एवं वह गुणावगुण पर तय नहीं हुआ है तो नया वाद लाया जा सकता है। रैस्पो0 के अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 02 व 03 की ओर से बहस कर रहे हैं एवं विवादित आराजी में सहखातेदार हैं। अपीलाण्ट की आराजी से उनका कोई संबंध सरोकार नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2016 पेज 782, आरआरटी 2016–17 पेज 489, 2015(1) पेज 204, आरबीजे 2016 पेज 637 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। पूर्व में विवादित आराजी बाबत् निर्णय पारित हो चुका है। उक्त दावे में विवादित आराजी एवं पक्षकार समान ही थे। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से अपीलाण्ट के दावे को खारिज किया है। जब दावा विधि से वर्जित हो तो न्यायालय उसे किसी भी स्तर पर खारिज कर सकती है। अतः प्रकरण में रेसजूडिकेटा लगता है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2012 पेज 131, 1998 पेज 650, 2017 पेज 151, डीएनजे 2015 पेज 340,

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

आरआरटी 2006(1) पेज 226, 2021(1) पेज 535, 2009(2) पेज 1055 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया। प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश करते हुए, प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि पूर्व में इसी विवादित आराजी बाबत पूर्व में दावा अंतिम तौर पर अंतिम निस्तारण किया जा चुका है। अतः वादीगण अपीलाण्ट को पुनः उसी विवादित आराजी बाबत् नये सिरे से दावा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वादीगण अपीलाण्ट का दावा पूर्व न्याय (Res judicata) के सिद्धान्त पर सुने जाने योग्य नहीं माना जाकर, प्रतिवादीगण रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए, दावा वादीगण अपीलाण्ट को खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। हमारा मत है कि पूर्व न्याय का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। जिसका विनिश्चय साक्ष्य एवं दस्तावेजात के बिना किया जाना सम्भव नहीं है। पूर्व न्याय के बिन्दु का विनिश्चय करने के लिए न्यायालय को पूर्व के प्रकरण के वादपत्र, जवाब दावा, विरचित विवाद्यक एवं न्यायालय के पूर्व निर्णयो को देखना होगा, जो साक्ष्य की विवेचना की श्रेणी में आते हैं और इस प्रकार साक्ष्य की विवेचना, जवाब दावा एवं दोनों पक्षों के साक्ष्य व दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर देने के बाद ही सम्भव हैं। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि अपीलाण्ट भगवानदेई, बूंदी की पुत्री है, जो विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति बताते हुये, अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा कर रही हैं। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है या नहीं। उक्त तथ्य विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होने वाला बिन्दु है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व दावे के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती वाद तलवी का स्टेप नहीं लेने के कारण दावा आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के तहत खारिज हुआ है। अर्थात दावे का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पूर्व का वाद गुणावगुण पर निर्णित नहीं हुआ है एवं वाद व्यतिक्रम में खारिज हुआ है एवं पूर्व वाद में अधिकार तय नहीं हुये हैं, तो नया वाद वर्जित नहीं है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट को साक्ष्य का अवसर दिये बिना प्रारम्भिक स्तर पर प्रतिवादी रैस्पो0 के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अतः इस प्रकार की कार्यवाही विधिक नहीं मानी जा सकती है, तथ्य एवं विधि का मिश्रित बिन्दु, साक्ष्य आदि लेने के बाद ही निर्णीत किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा ली गयी आपत्ति के आधार पर प्रारम्भिक स्तर पर वाद को खारिज करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के आधार पर वाद पत्र को केवल तभी खारिज किया जा सकता है, जब वाद पत्र में अंकित कथन मात्र से यह प्रतीत हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि आदेश

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

07 निमय 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अन्तर्गत, अधीनस्थ न्यायालय का वाद को खारिज किये जाने का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या पर आधारित होने के कारण स्थिर नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2019 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में प्रतिवादीगण से जवाब दावा लेते हुये एवं दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम एवं उन पर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर